हो।

26/3/5 पत्रावली प्रस्तुत। वकील वादी अनु.। न्यायालय के पुकारे जाने पर ना तो वादी न ही वकील वादी न्यायालय के समक्ष उपस्थित हुये। अतः वाद- वादी अदम हाजिरी अदम पैरवी में खारिज किया जाता है। पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर होकर नम्बर से कम हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by Pawan Kumar
Date: 2021.05.10 17:23:09 IST
Reason: SelfAttested